ORDER SHEE

THE COURT

Date of order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

11/02/2017

प्रकरण नेशनल लोक अदालत में समझौता हेतु पेश। आवेदक रामलखन द्वारा श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता। आवेदक रामलखन की ओर से एक लिखित आवेदनपत्र पेश करते हुए व्यक्त किया कि उसने अनावेदिका के साथ वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना हेतु माननीय न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण पेश किया था, वर्तमान में अनावेदिका, श्रीमती आरती आवेदक रामलखन के साथ रह रही है, इसलिये उपरोक्त प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

उक्त प्रकरण धारा—09 हिन्दू विवाह अधिनियम दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना बाबत पेश किया गया है, किन्तु अब पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं होने से और अनावेदिका का आवेदक के साथ रहने से उक्त प्रकरण में कोई भी कार्यवाही अब शेष नहीं है। अतः पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने एवं उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं होने के कारण प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी.सी. आर्य) पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.—15, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के०सी० उपाध्याय) (सदस्य) खण्डपीठ क.—15 गोहद जिला भिण्ड (योगेन्द्र श्रीवास्तव) (सदस्य) खण्डपीठ क.–15 गोहद जिला भिण्ड